पत्र सूचना शाखा
सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उ0प्र0

राज्यपाल को उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता की प्रति भेंट की

लखनऊः 18 मार्च, 2016

उत्तर प्रदेश के राज्यपाल श्री राम नाईक से आज राजभवन में श्री राज बहादुर सिंह यादव अपर महाधिवक्ता उत्तर प्रदेश ने मिलकर 'उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 यथा संशोधित, 2015' की प्रति भेंट की। 'उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 यथा संशोधित, 2015' प्रारूप समिति के अध्यक्ष श्री राज बहादुर सिंह यादव के साथ श्री सुनील कुमार चैधरी उपायुक्त राजस्व परिषद एवं सदस्य/सचिव प्रारूप समिति, श्री भीष्मलाल वर्मा उपायुक्त राजस्व परिषद एवं सदस्य/संयोजक प्रारूप समिति, श्री भोलानाथ यादव अधिवक्ता उच्च न्यायालय इलाहाबाद एवं सदस्य/संयोजक प्रारूप समिति तथा अधिवक्ता सुश्री प्रियंका पाल भी उपस्थित थे। 'उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 यथा संशोधित, 2015' राजस्व परिषद उत्तर प्रदेश द्वारा प्रकाशित की गयी है।

उल्लेखनीय है कि राज्यपाल द्वारा गत 16 दिसम्बर, 2015 को उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता (संशोधन) अध्यादेश, 2015 प्रख्यापित किया गया था।

अंजुम/ललित/राजभवन(108/30)